"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2010—माघ 28, शक 1931

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-38/2008/वाक (आब)/पांच (19).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 10-क के उप-नियम (1), (2) व (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) देशी मदिरा के विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण भाण्डागार तक बोतल बंद देशी मदिरा के समस्त परिवहन के लिए, दूरी को विचार में लाए बिना, अधिकतम छीजन छूट 0.5% होगी.

(2) देशी मदिरा के विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण भाण्डागार तक परिवहन किये जाने वाली सीलबंद बोतलों में भरी देशी मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा अनुज्ञेय हानियों की गणना का आधार होगी.

(3) यदि बोतलों में भरी देशी मदिरा के परिवहन के दौरान छीजन की हानियां उप-नियम (1) में विहित अनुज्ञेय हानि की सीमा से अधिक होती है, तो बोतलों में भरी देशी मदिरा की ऐसी अधिक सभी कमियों/हानियों पर, आसवक/देशी मदिरा प्रदायकर्ता रुपये 30/- प्रति प्रूफलीटर की अनधिक दर से शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा, जो आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अधिरोपित की जावे ;

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त या कलेक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि ऐसी अधिक कमी या हानि किसी अपरिहार्य कारणों से हुई है तो आबकारी आयुक्त या कलेक्टर इस उपबंध के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति को अभित्यक्त कर सकेंगे.

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 10-38/2008/वाक (आब)/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-38/2008/वाक (आब)/पांच (19), दिनांक 17 फरवरी, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 17th February 2010

NOTIFICATION

No. F 10-38/2008/CT (Ex.)/V (19).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

1. In place of sub-rule (1), (2) and (3) of Rule 10-A, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(1) That maximum wastage allowance for all transports of sealed bottled of Country liquor from the manufacturing warehouse of country liquor to storage warehouse shall be 0.5% irrespective of distance.

(2) The total quantity of sealed bottled of Country liquor transported from manufacturing warehouse of Country liquor to storage warehouse, shall be the basis for computation of permissible losses.

(3) If all excess wastage/losses during the transport of bottled of Country liquor exceed the permissible limit prescribed in sub-rule (1), the distiller/country liquor supply contractor shall be liable to pay penalty at a rate not exceeding Rs. 30/- per proof litre, which may be imposed by the Excise Commissioner or Collector.

Provided that, if it will be proved to the satisfaction of the Excise Commissioner or Collector, that such excess deficiency or wastage was due to some unavoidable cause, the Excise Commissioner or Collector, may waive the penalty to be imposed under this provision.

2. This amendment shall come into force with effect from the 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.